an>

Title: Need to take steps for protection of cows in Azamgarh district of Uttar Pradesh.*

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : माननीय सभापति जी, आपने हमें बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हू। मैं एक अति लोक महत्व का विÂाय शून्य काल में उठाना चाहती हं। हमारे संसदीय क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ जनपद में पड़ता है। आजमगढ़ जनपद में व्याप्त गौहत्या व गौमांस की तस्करी का कारोबार उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के संरक्षण में धड़ल्ले से जारी है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जनपद के थाना दीदारगंज के ग्राम दरियापुर में भारी मात्रा में गौमांस की बरामदगी है। पिछले माह गौवध के लिए ट्रकों में भरकर सरायमीर, कप्तानगंज, अतरौलिया और कंधरापुर में ले जा रही गायों की खेप का जनता द्वारा पकड़ा जाना और प्रशासन द्वारा गायों से लदी ट्रक को छोड़ देना और इस घृणित कार्य का विरोध करने वाली जनता को गंभीर धाराओं के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाना घोर निंदनीय है। मैं इस सदन के माध्यम से इस घृणित मामले और उत्तर प्रदेश शासन-प्रशासन की घोर निंदा करती हूं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि दरियापुर की घटना में लिप्त मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाये और कानून बनाकर पूरे देश में गौहत्या पर रोक लगायी जाये तथा गौ संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाये जायें। सरकारी खर्च से देश के सभी जिले मुख्यालयों में गौशाला की स्थापना की जाये। इसके साथ मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि जो वाहन इस गौमांस के साथ पकड़ा जाये, उस वाहन का लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाये।

सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अजय मिश्रा टेनी, कुंवर पुÂपेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सी.पी. जोशी, श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री राम मोहन नायडु किंजरापु को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।